राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 746/2024

दिनेश कुमार मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविकांत अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.11.1998 (अनुलग्नक–1) द्वारा व्याख्याता के पद पर नियुक्त जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य (हिन्दी) के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी से राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 51 पर अंकित है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मामचारी, जिला करौली में कार्यरत है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी का 08 महीने का बच्चा है, जो जन्म से बीमार है और उसका नियमित इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण के

कारण नाबालिग बच्चे की देखभाल करने में कठिनाई होगी (अनुलग्नक–6)। मध्य स्थानान्तरण से हिन्दी सहायक प्रोफेसर के 2 पद रिक्त हो जायेंगे क्योंकि अपीलार्थी के पदस्थापित स्थान पर सहायक प्रोफेसर के 4 पद है। राज्य सरकार की नीति है कि पति–पत्नी को यथासंभव नजदीक पदस्थापित रखा जावे। आलोच्य आदेश में यात्रा–भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं की गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्नी के एक ही स्थान पर राजकीय सेवारत रहने के कारण किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य सरकार की ऐसी कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है, जिसमें पति और पत्नी को एक ही स्थान पर रखने का प्रावधान किया गया हो। अपीलार्थी का स्थानान्तरण गंगापुर सिटी से हिण्डौन सिटी किया गया है, जो कि लगभग 40 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य हित में किया गया है। अतः उसे नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है। अपीलार्थी राज्य शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) का अधिकारी है जिसका नियमानुसार राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं पर स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का आधार नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने इन आधारों पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। अपीलार्थी अपनी समस्याओं के संदर्भ में विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी से राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी पदस्थापित किया गया है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20. 02.2024 द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित में वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 18.06. 1999 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति नियम–04 के अनुसार पति–पत्नी दोनो को एक ही जगह पर रखा जाना अनिवार्य नही है अपितु प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान

है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा–भत्ता एवं कार्यग्रहण काल अनुमत किया जावे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य